संख्या- 428/14-2-2017-800(111)/2015

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक, 19 सितम्बर, 2017

विषय:- आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस-वे ग्रीन फील्ड योजना हेतु जनपद आगरा फिरोजाबाद मैनपुरी इटावा औरैया कन्नौज कानपुर नगर उन्नाव तथा लखनऊ की 14.5543 हे0 संरक्षित वनभूमि व 109.2710 हे0 आरक्षित वनभूमि इस प्रकार कुल 123.8253 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 65342 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सख्या-1721/11-सी-आगरा, दिनांक 15-2-2017 तदक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के सैद्धांतिक स्वीकृति संख्या-8बी/यू0पी0/06/43/2015/एफसी/1422, दिनांक 12-2-2016 व विधिवत स्वीकृति संख्या-8बी/यू0पी0/ 06/43/ 2015/ एफसी/484, दिनांक 16-01-2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस-वे ग्रीन फील्ड योजना हेतु जनपद आगरा फिरोजाबाद मैनपुरी इटावा औरैया कन्नौज कानपुर नगर उन्नाव तथा लखनऊ की 14.5543 हे0 संरक्षित वनभूमि व 109.2710 हे0 आरक्षित वनभूमि इस प्रकार कुल 123.8253 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 65342 वृक्षों के पातन की अनुमति, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शर्तो/प्रतिबंधों एवं मा0 न्यायालय के आदेशों को एतदद्वारा निम्नवत सम्मिलित करते हुये विज्ञप्ति निर्गत की जाती है:-

(1) भा0स0 वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(2) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 124-406 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी 124;406 हे0 गैर वन भूमि का अमलदरामद वन विभाग, उ0प्र0 के पक्ष में हो चुका है। इसे आरक्षित वन भूमि के रूप में छः माह में अधिसूचित किया जायेगा एवं अभिलेख की एक प्रति अभिलेख हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

sfasandesh.up.nic.in/80/intra

क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। यह वृक्षारोपण विधिवत स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण् किया जायेगा।

(3) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित संरक्षित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि अर्थात 30 हे0(14.5543 ×2=29.10 हे0 अर्थात 30.00 हे0) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। यह वृक्षारोपण विधिवत स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण् किया जायेगा।

(4) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप प्रभावित वन क्षेत्र के 10 गुने अवनत वन भूमि अर्थात 95.00 हे0 (9.352×10=92.53 हे0 अर्थात 95.00 हे0) पर दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। यह वृक्षारोपण विधिवत स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण् किया जायेगा।

(5) भा0स0 अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

(6) भा0स0 परियोजना के निर्माण् व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

(7) भा0स0 प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने व भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

(8) भा0स0 प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(9) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की आयेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो

(10) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(11) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।

(12) भा.स. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा मा0 एन0जी0टी0 सेन्ट्रल जोन बेच भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16-11-2015 में दिये गये आदेश की अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरुफ तथा Meddian पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

(13) भा.स. ताज ट्रिपेजियम जोन से संबंधित होने के कारण मा0 सर्वोच्च न्यायालय या सक्षम न्यायालय/प्राधिकरण से जारी आदेशों का पूर्णरूपेण अनुपालना सुनिश्चित किया जायेगा।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

(14) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण को यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।

(15) भा0स0 प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक Backward एण्ड Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जायेगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत स्वीकृति जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण जायेगा।

(16) भा0स0 प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(17) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम,कानून तथा दिशा-निर्देशों का पालन करेगी।

(18) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक- 11-98/-एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।

(19) **<u>प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि</u>** का वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमिएम एवं प्रीमिएम का 10प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लेकर पट्टाधारक को वन भूमि का कब्जा दिया जायेगा।

(20) **<u>प्रस्तावित 109.2710 हे0 आरक्षित वन भूमि हेतु</u>** पट्टाधारक द्वारा उक्त शर्तो एवं अन्य सामान्य शर्तो को सम्मिलित करते हुये एक पट्टाविलेख का आलेख्य प्रस्तुत जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टाविलेख के विधीक्षण हेतु न्याय कन्वेसिंग कोष्ठक के शासनादेश संख्या- 198/7जीसी-90-3-89, दिनांक क19-6-1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखा शीर्षक-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-01-न्याय प्रशासन-501 सेवायें और फीस-01 की गयी सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टाविलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी

(21) **<u>प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि</u>** प्रथम बार 25 वर्षो के लीज पर दी जायेगी,जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत नवीनीकरण के पश्चात पुन: समय-समय पर बढ़ाया जायेगा।

(22) प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(23) मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक

shasanadesh.up.nic.in/go/mra

वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(24) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(25) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(26) वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(27) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(28) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(29) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(30) प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक बृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग,फैलिंग,लागिंग एवं ट्रान्सपोट्रेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। बृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी, दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।

(31) प्रस्तावक विभाग को ताज ट्रिपेजियम जोन से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

(32) विषयगत परियोजना में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो का अनुपालन कर लिया गया है। कृपया इसकी सूचना 15 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(33) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-7-603/दस-17, दिनांक 12-9-2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-428 (1)/14-2-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

(1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यालय,केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार,लखनऊ।

(2)- जिलाधिकारी, vkxjk] fQjkt kckn] euiqjh] bVkok] vkj;k] dUukt] dkuij uxj] mUuko rFkk y[kuÅ ।

(3) प्रबन्ध निदेश, उ0प्र0वन निगम, लखनऊ।

(4) मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, आगरा मण्डल एवं लखनऊ मण्डल।

(5)- डी0एफ0ओ0, vkxjk] fQjkt kckn] euiqjh] bVkok] vkj;k] dUukt] dkuij uxj] mUuko rFkk y[kuÅ ।

(6) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेस वे इण्डस्ट्रीयल डेपलपमेण्ट अथारिटी, सी0 13 पर्यटन भवन विपिन खण्ड,लखनऊ।

(7) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0शासन।

(8)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अनुसचिव

shasanadesh.up.nic.in/go/intra